छुट्टी की अर्जी का फार्म FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

एस आर 1 SR 1

(अनुपूरक नियम 216 देखिए) (See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी: सं. 1 से 11 प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो, या अराजपत्रित।

Note: Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted

- 1. प्रार्थी का नाम / Name of Applicant:
- 2. लागू होनेवाली छुट्टी नियमावली

Leave Rules Applicable:

3. a. पद/Post Held:

b.यदि परिवीक्षाधीन /Whether on probation:

4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग:

Department, Office and Section

- 5. वेतन/Pay
- 6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता,

सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते :

House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowance drawn in the present post.

7. मांगी गयी छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू

होने की तारीख:

Nature and period of leave applied for and date from which required.

8. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हें

छुट्टी से पहले/बाद में जोडना चाहते है।:

Sundays and Holidays, if any proposed to be prefixed/suffixed to leave.

9. छुट्टी का कारण:

Ground on which leave is applied for

10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी

की किस्म तथा अवधि:

Date of return from last leave and the nature and period of that leave.

- 11. मेरा विचार आगामी छुट्टी में......के खण्ड वर्ष के लिए छुट्टी यात्रा की कैफियत का है/नहीं है। I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession the block years......during the ensuring leave.
- 12. (क) मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी के दौरान आहरित अवकाश वेतन और अर्ध औसत वेतन/अर्ध वेतन/अर्ध वेतन के दौरान ग्राह्य, जो कि ग्राह्य नहीं होता, के बीच के अंतरीय राशि वापस करूंगा/करूंगी। अंत में मेरी सेवानिवृत्ति पर या अवकाश के चलते परन्तुक अथवा मू.नि.81(बी)ii/संशोधित अवकाश नियमावली 1993 का नियम II, लागू नहीं करना है।

- (a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave half average pay/half pay leave, which would not have been admissible. The proviso of F.R.81(b)(ii)/rule II of the Revised Leave Rules, 1993, not to applied in the event of my retired from service at the end or during currency of the leave.
- (ख) मैं वचन देता हूँ कि मेरी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने पर या किसी भी समय पदत्याग पर यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सके जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान, जो मूल नियम 81(ख) / संशोधित छुट्टी नियमावली, 1993 के नियम 11(घ) के लागू न किए जाने पर मुझे मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा।
- (b) I undertake to refund leave salary, drawn during leave not due which would not have admissible had F.R.81(c)/Rule II(d) of the Revised Leave Rules, 1993 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn pay leave not less, than the amount of leave not due availed of by me.

तारीख/ Date	प्रार्थी का हस्ताक्षर Signature of Applicant
13. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और / या सिफारिश Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer.	
तारीख/ Date पदनाम/Designation	हस्ताक्षर/Signature
छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण-पत्र	

छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण-पत्र Certificate Regarding Admissibility of Leave (राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में प्रधान महालेखाकार द्वारा)

(By Principal Accountant	General in the case of gazetted O	fficer's)
तक दिन के लिए	नियमावली के नियम	. के अधीन(छुट्टी)
की किस अनुमत्य है। Certified that	(Nature of Leave)	for from
to i	s admissible under rule	of theRules.
		हस्ताक्षर/Signature
तारीख/ Date		ਧਟਰਾਸ/Designation

यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होनेपर प्रार्थी उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहाँ इसी प्रकार का मिलता हो। If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.